संख्या–वे0आ0–1–1775 / दस–2008–42(एम) / 08

प्रेषक,

श्री अनूप मिश्र,
प्रमुख सचिव, वित्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

(1) समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
(2) वित्त अधिकारी / कुल सचिव, समस्त राज्य विश्वविद्यालय,उत्तर प्रदेश।
(3) शिक्षा निदेशक (उच्च शिक्षा) / शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद / लखनऊ।
(4) निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश, कानपुर।

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–1 लखनऊ : दिनांक : 08 दिसम्बर, 2008

विषयः– राज्य कर्मचारियों, राजकीय एवं सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षक (यू0जी0सी0, ए0 आई0 सी0 टी0ई0, आई0सी0ए0आर0 वेतनमानों से आच्छादित पदों को छोड़कर) एवं सहायता प्राप्त शिक्षण / प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को दिनांक 1–06–2006, 01–07–2006, 01–01–2007, 01–07–2007, 01–01–2008 एवं 01–07–2008 से अनुमन्य मँहगाई भत्ते की संशोधित दरे।

पठित निम्नलिखितः–

(1) शासनादेश संख्या वे0आ0–1–606 / दस–2008–42(एम) / 97, दिनॉक 27 मई, 08
(2) भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या–1(3) / 2008– ई–II(बी), दिनांक 29–08–2008
(3) शासकीय संकल्प संख्या–वे0आ0–2–1313 / दस–54(एम) / 08, दिनॉक 08 दिसम्बर, 08
(4) शासनादेश संख्या वे0आ0–2–1314 / दस–59(एम) / 08, दिनॉक 08 दिसम्बर, 08
(5) शासनादेश संख्या वे0आ0–2–1315 / दस–59(एम) / 08, दिनॉक 08 दिसम्बर, 08

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि छठवें केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों पर केन्द्र सरकार द्वारा लिये गये निर्णयानुसार केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को उपर्युक्त कम सं0–(2) पर उल्लिखित कार्यालय–ज्ञापन द्वारा दिनांक 01–01–2006, दिनांक 01–07–2006, 01–01–2007, 01–07–2007, 01–01–2008 एवं 01–07–2008 से निम्नानुसार संशोधित दरो पर महंगाई भत्ते की स्वीकृति के आदेश जारी किये गये हैः–

तिथि जिस दिन से देय है	**प्रतिमाह महंगाई भत्ते की दर**
01–01–2006	शून्य
01–07–2006	वेतन का 2 प्रतिशत
01–01–2007	वेतन का 6 प्रतिशत
01–07–2007	वेतन का 9 प्रतिशत

1. (5/2)

01–01–2008	वेतन का 12 प्रतिशत
01–07–2008	वेतन का 16 प्रतिशत

2– उपर्युक्त कम संख्या–3 पर उल्लिखित शासकीय संकल्प, दिनांक 08दिसम्बर, 2008 के कम में राज्यपाल महोदय दिनांक 01–01–2006, दिनांक 01–07–2006, 01–01–2007, 01–07–2007, 01–01–2008 एवं 01–07–2008 से पुनरीक्षित वेतन संरचना में निम्नानुसार संशोधित दरों पर महंगाई भत्ते के भुगतान की स्वीकृति सहर्ष प्रदान करते हैं:–

तिथि जिस दिन से देय है	प्रतिमाह महंगाई भत्ते की दर
01–01–2006	शून्य
01–07–2006	मूल वेतन का 2 प्रतिशत
01–01–2007	मूल वेतन का 6 प्रतिशत
01–07–2007	मूल वेतन का 9 प्रतिशत
01–01–2008	मूल वेतन का 12 प्रतिशत
01–07–2008	मूल वेतन का 16 प्रतिशत

3– इस आदेश के अनुसार महंगाई भत्ते का उपरोक्त दरों पर भुगतान पूर्व मे शासनादेश संख्या वे0आ0–1–656/दस–2006–42(एम)/97, दिनॉक 16 जून, 2006, शासनादेश संख्या वे0आ0–1– 1415/दस–2006–42(एम)/97, दिनॉक 16 नवम्बर, 2006, संख्या वे0आ0–1–702/ दस– 2007– 42(एम)/97, दिनॉक 5 जून, 2007, संख्या वे0आ0– 1–1514/दस–2007–42(एम)/97, दिनॉक 15 अक्टूबर, 2007 एवं सं0–वे0आ0–1– 606/दस–2008–42(एम)/97, दिनॉक 27 मई, 2008 द्वारा स्वीकृत एवं भुगतान की गई महंगाई भत्ते की धनराशि को समायोजित करने के बाद किया जायेगा।

4– इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत महंगाई भत्ते के आगणन हेतु "मूल वेतन" का तात्पर्य दिनांक 1–1–2006 से लागू पुनरीक्षित वेतन–संरचना में कर्मचारियों को अनुमन्य वेतन बैण्ड में वेतन तथा अनुमन्य ग्रेड वेतन के योग से होगा, किन्तु नियत वेतनमान में अनुमन्य वेतन ही मूल वेतन माना जायेगा। परन्तु उक्त के अतिरिक्त अन्य प्रकार के वेतन जैसे विशेष वेतन, सीमान्त विशेष वेतन/भत्ता, वैयक्तिक वेतन, प्रतिनियुक्ति भत्ता/वेतन तथा अन्य भत्ते आदि भले ही वे मूल नियमों के अंतर्गत वेतन की परिभाषा में आते हों, को मूल वेतन के साथ सम्मिलित नहीं किया जायेगा। परन्तु प्रैक्टिस बन्दी भत्ता को "वेतन" का अंश माना जायेगा अर्थात प्रैक्टिस बन्दी भत्ता को महंगाई भत्ता के आगणन हेतु सम्मिलित किया जायेगा।

5– महंगाई भत्ते को एक तरह का विशिष्ट घटक ही माना जायेगा तथा वित्तीय नियम 9(21) के अंतर्गत वेतन नहीं माना जायेगा।

6– इन आदेशों द्वारा स्वीकृत महंगाई भत्ता उन कर्मचारियों/शिक्षकों को भी, जो प्रभावी तिथि को सेवारत थे किन्तु इस शासनादेश के जारी होने के पूर्व जिनकी सेवायें चाहे जिन कारणों से यथा अनुशासनिक कारणों से या त्याग–पत्र, सेवा–निवृत्ति, मृत्यु या सेवा–मुक्त होने या स्वीकृत पदों की समाप्ति के कारण समाप्त हो गयी हों, सेवा–समाप्ति, सेवा निवृत्ति आदि की तिथि तक अनुमन्य होगा।

7– इन आदेशों द्वारा स्वीकृत महंगाई भत्ते की देय धनराशि को निकटतम एक रूपये में पूर्णांकित किया जायेगा अर्थात 50 पैसे और इससे अधिक को अगले उच्चतर रूपये पर पूर्णांकित किया जायेगा और 50 पैसे से कम की राशि को छोड़ दिया जायेगा।

8– इन आदेशों द्वारा स्वीकृत संशोधित मॅहगाई भत्ते की दरों के आधार पर दिनॉक 1–12–2008 से (दिनॉक 01 जनवरी, 2009 को देय) नगद भुगतान किया जायेगा। संशोधित दरों पर भुगतान के फलस्वरुप दिनॉक 1–1–2006 से 30–11–2008 तक की अवधि हेतु अवशेष देय का भुगतान शासकीय संकल्प संख्या वे0आ0–2–1313/दस–54(एम)/2008, दिनॉक 08 दिसम्बर, 2008 के प्रस्तर–1(13) में प्रावधानित प्रकिया के अनुसार किया जायेगा।

भवदीय,

अनूप मिश्र

(अनूप मिश्र)
प्रमुख सचिव।

संख्या–वे0आ0–1– 1775(1)/दस–42(एम)/2008, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

(01) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)–1 एवं 2 तथा (आडिट)–1 एवं 2 उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
(02) समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
(03) समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
(04) वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (वेतन अनुसंधान एकक), भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) कमरा नं0–261, नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली–110001
(05) प्रमुख सचिव, राज्यपाल महोदय, लखनऊ।
(06) प्रमुख सचिव, विधान सभा/परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
(07) महानिबन्धक, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
(08) रीजनल प्राविडेन्ट फण्ड कमिश्नर, कानपुर।
(09) अपर निदेशक, कोषागार शिविर कार्यालय, नवीन कोषागार भवन (प्रथम तल) कचहरी रोड, इलाहाबाद।
(10) निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
(11) निदेशक, सूचना, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
(12) निदेशक, अधिष्ठान पुनरीक्षण ब्यूरो, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश।
(13) इरला चेक अनुभाग/इरला चेक (वेतन पर्ची प्रकोष्ठ)
(14) सचिवालय के अन्य समस्त अनुभाग।
(15) गार्ड बुक ।

आज्ञा से,

(नरेन्द्र कुमार)
संयुक्त सचिव।